रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257796
CG-DL-E-10102024-257796

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4025] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 9, 2024/आश्विन 17, 1946
No. 4025] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024/ASVINA 17, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4386(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा धार 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य, छत्तीसगढ़ के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 2201 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2201 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड

(xiv) और धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यां का.आ. 2201 (अ), तारीख 12 जुलाई, 2017 को प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 5 और 6 के लिए, निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मनीटरी समिति.** –(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी करने के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी एक मानीटरी समिती का गठन करेगी, अर्थात्: -

(1)	कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार	अध्यक्ष, पदेन;
(2)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बलौदाबाजार	सदस्य, पदेन;
(3)	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार	सदस्य, पदेन;
(4)	अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य विभाग, बलौदाबाजार	सदस्य, पदेन;
(5)	किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी या पर्यावरण या वन्यजीव में एक विशेषज्ञ, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामिनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(6)	पर्यावरण या वन्यजीव (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामिनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(7)	सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(8)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	सदस्य, पदेन;
(9)	अधीक्षक, बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य	सदस्य, पदेन;
(10)	प्रभागीय वनाधिकारी, बलौदाबाजार	सदस्य सचिव, पदेन।

6. मानीटरी समिति के कार्य:- (1) मानीटरी समिति, वास्तविक स्थलीय-विनिरदृष्ट दशाओं के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में आने वाले क्रियाकलापों की, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय,जो उस अधिसूचना के पैर 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट है, समीक्षा करेगी, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनुज्ञा-पत्र के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेगी।

(2) ऐसे क्रियाकलापों की, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में नहीं आते है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, ऐसी प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय, जो उस आधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिरदृष्ट है, वास्तविक स्थलीय-विनिरदृष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी और उसे सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निरदृष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक,ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध,जो इस अधिसूचना के उपबंधों का उलंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(4) मानीटरी समिति,प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए, समिति को उसके विचार विमर्श मे सहायता के लिए,विभाग से किसी प्रतिनिधि या किसी विशेषज्ञ, औद्योगिक संगमों के किसी प्रतिनिधि या पणधारियों को आमंत्रित कर सकेगी।

(5) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट, इस अधिसूचना के साथ संगलग्न **उपाबंध-।।।** मे निरदृष्ट प्रारूप में, उस वर्ष के 30 जून तक, मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार, मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए,लिखित मे ऐसे निर्देश दे सकेगी,जो वह उचित समझे।

[फा. सं. 25/151/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पणी.- मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2201(अ), तारीख 12 जुलाई, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2024

S.O. 4386(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Barnawapara Wildlife Sanctuary, Chhattisgarh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2201(E), dated the 12th July, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2201(E), dated the 12th July, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2201(E), dated the 12th July, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(1)	Collector, Balodabazar District	Chairman, *ex-officio;*
(2)	Chief Executive Officer, District Panchayat, Balodabazar	Member, *ex-officio;*
(3)	Superintending Engineer, Public Work Department Balodabazar	Member, *ex-officio;*
(4)	Superintending Engineer Public Health Department, Balodabazar	Member, *ex-officio;*
(5)	One expert in ecology or environment or wildlife from a reputed institution or university to be nominated by the State Government of Chhattisgarh for a period of three years	Member;
(6)	One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of Environment/Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the	Member;

	State Government of Chhattisgarh for a period of three years	
(7)	Member, Chhattisgarh State Biodiversity Board	Member, *ex-officio;*
(8)	One representative of State Pollution Control Board	Member, *ex-officio;*
(9)	Superintendent, Barnawapara Wildlife Sanctuary	Member, *ex-officio;*
(10)	Divisional Forest Officer, Balodabazar	Member Secretary, *ex- officio;*

6. **Functions of the Monitoring Committee**.— (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in Sub-Paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or an expert from the Department, a representative from industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure-III.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/151/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2201(E), dated the 12th July, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.10.10 22:41:32 +05'30'